फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

मांगेराम बनाम मुन्शीराम आदि

किस्म मुकदमा : 151 सीपीसी प्रकरण संख्या 04/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
09.04.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अत : संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण रोही मौजा चक 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 108/10 के प0न0 374/387 मु0न0 50 के किला न0 1 व 2 पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर साईड की 0.013 हैक्ट भूमि में चालू रास्ते के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें । यदि किसी प्रकार का उज्र व एतराज हो तो न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी होकर दिनांक 20.05.2024 को पेश हो । Sd/-	
20/5/24	वकील साहब उपस्थित अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 27/5/24 को पेश हो Sd/-	
27/5/24	वकील प्रार्थी [illegible] से [illegible] प्रकरण निस्तारण होने से कारण प्रार्थी चलाना नहीं चाहता है [illegible] खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो Sd/- उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:01 IST
Reason: SelfAttested